उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या-25/2018/607/94-स्टा०नि०-2-2018-700(182)/2018

लखनऊ: दिनांक 07 अगस्त, 2018

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति, 2018 के प्रस्तर-5.4 एवं 6.5 में उपबन्धित प्रयोजन के लिये नीचे अनुसूची के स्तम्भ-4 में यथा-प्रदर्शित लिखतों के सम्बन्ध में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में यथा दर्शित सीमा तक छूट प्रदान करते हैं:-

अनुसूची

नीति का प्रस्तर	प्रयोजन और अन्य विवरण	छूट की सीमा	लिखत की प्रकृति तथा अनुसूची एकन्ख की अनुच्छेद संख्या
1	2	3	4
उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति, 2018 का प्रस्तर-5.4	फार्मा विकासकर्ता द्वारा भूमि के खरीद पर और स्थापित की जाने वाली इकाई के प्रत्येक प्रथम खरीदार को स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की जायेगी। फार्मा विकासकर्ता के लिये स्टाम्प शुल्क में छूट। स्थापित की जाने वाली इकाई के प्रत्येक प्रथम खरीददार के के लिए स्टाम्प शुल्क में छूट।	100 प्रतिशत 50 प्रतिशत	अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन हस्तांतरण तथा अनुच्छेद 35 के अधीन पट्टा
उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति, 2018 का प्रस्तर-6.5	नीति के अधीन स्थापित की जा रही सभी प्रकार की नई औद्योगिक इकाईयों के लिए स्टाम्प शुल्क में छूट ।	100 प्रतिशत	अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन हस्तांतरण तथा अनुच्छेद 35 के अधीन पट्टा

2. इस अधिसूचना के अधीन छूट, तभी उपलब्ध होगी, यदि सम्बन्धित जिले का जिला मजिस्ट्रेट या महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजन के लिए साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा कि अन्तरण, उक्त नीति के अधीन निष्पादित किया जा रहा है।

आज्ञा से,

(हिमांशु कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-25/2018/607/स्टा०नि०-2-2018-700(182)/2018, दिनांक 07 अगस्त, 2018

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 07-08-2018 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की सौ प्रतियॉ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(लालू)
संयुक्त सचिव।

संख्या-25/2018/607/स्टा०नि०-2-2018-700(182)/2018, दिनांक 07 अगस्त, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(6) प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(9) आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश, सेक्टर-सी, अलीगंज, नेहरू बाल वाटिका के पीछे, लखनऊ।
(10) समस्त उपायुक्त स्टाम्प/उप महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
(11) समस्त सहायक आयुक्त स्टाम्प/सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
(12) विधायी अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
(13) भाषा अनुभाग-5 उत्तर प्रदेश शासन।
(14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लालू)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no 25/2018/607/94-S.R.-2-2018-700 (182)/2018, Dated, 07 August, 2018

Notification
Order

No.-25/2018/607 /94-S.R.-2-2018-700 (182)/2018
Lucknow Dated, 07 August, 2018

In exercise of the powers under clause (a) of sub section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act. 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act 1897 (Act no. 10 of 1897) the Governor is pleased to remit with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the stamp duty to the extent shown in column-3 of the Schedule below, chargeable in respect of the instruments as shown in column-4 of the said Schedule for the purpose provided in paragraph 5.4 and 6.5 of the Uttar Pradesh Pharmaceutical Industry Policy, 2018 of the state as mentioned in Column-2 of the said Schedule.

SCHEDULE

Paragraph of the Policy	**Purpose and other Detail**	**Extent of remission**	**Nature of Instrument and Article number of Schedule-1-B**
1	2	3	4
Paragraph 5.4 of the Uttar Pradesh Pharmaceutical Industry Policy, 2018	On the purchase of land by the pharma developer and the first buyer of the unit to be established, stamp duty will be exempted. The exemption of stamp duty to pharma developer. The exemption of stamp duty to every first buyer of the unit to be established.	100% 50%	Conveyance, Under clause (a) of Article 23 and Lease under Article 35.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Paragraph 6.5 of the under Uttar Pradesh Pharmaceutical Industry Policy, 2018	The exemption of stamp duty all kinds of new industrial units being established under the Policy.	100 %	Conveyance, Under clause (a) of Article 23 and Lease under Article 35.

2. The remit under this notification shall be available if the District Magistrate or the General Manager, District Industries Centre of the concerned district shall sign such instrument as witness for the purpose of confirming the fact that the transfer is being executed under the said policy.

By Order

(Himanshu Kumar)
Pramukh Sachiv

http://shasanadesh.up.nic.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**